मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 01–02–2012 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य–कलाप की समीक्षा संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : (सूची संलग्न)

विपत्रीकरण, विपत्र वितरण एवं राजस्व वसूली से संबंधित प्रणाली तथा उच्च विभव उपभोक्ताओं (HT Consumers) के विपत्रीकरण, राजस्व वसूली तथा बकाये के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरान्त निम्नलिखित कार्य–योजना पर कार्यान्वयन किया जाना है:–

1. **विपत्रीकरण**

1.1 पेसू क्षेत्र के दो प्रमण्डलों जहाँ स्पॉट बिलिंग सिस्टम वर्त्तमान में लागू नहीं है, वहाँ इसकी व्यवस्था शीघ्र की जानी है।

1.2 पेसू क्षेत्र के सभी प्रमण्डलों के विपत्रीकरण एवं विपत्र वितरण के प्रतिशत का हर माह समीक्षा की जानी है।

1.3 पेसू क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं का GIS Mapping करने की दिशा में कार्रवाई की जानी है। अन्य क्षेत्र जो आर.–ए.पी.डी.आर.पी. में शामिल नहीं है उनके GIS Mapping के लिए भी योजना बनायी जानी है।

1.4 यह भी व्यवस्था की जानी है कि सभी उपभोक्ताओं का विस्तृत विवरण यथा गृह संख्या, पता, पोल संख्या, ट्रान्सफारमर तथा फीडर इत्यादि बोर्ड के बिलिंग डाटाबेस में शामिल रहे।

1.5 बोर्ड द्वारा अपने बिलिंग डाटाबेस को update करने हेतु सभी उपभोक्ताओं का One Time Survey कराया जाना है। सभी उपभोक्ताओं के डाटाबेस का समय–समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाना है।

1.6 हरेक उपभोक्ता के प्रशाखा, अनुमण्डल, प्रमण्डल आदि को भी डाटाबेस में सन्निहित किया जाना है।

1.7 Consumer Database के संग्रहण की व्यवस्था in-house होनी चाहिए। इस दिशा में कार्रवाई की जानी है।

1.8 हर अनुमण्डल, प्रमण्डल के लिए विभिन्न स्तर पर बिल जेनरेशन तथा विपत्र वितरण के प्रतिशत का हर महीने समीक्षा कर उसमें सुधार लाया जाना है।

1.9 Database का standardisation किया जाना है ताकि सही विश्लेषण तथा तुलनात्मक समीक्षा की जा सके। यदि आवश्यकता हो तो बिहार सरकार के SWAN नेटवर्क का इस purpose के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

1.10 सभी उपभोक्ताओं का पूर्ण विवरण डाटाबेस में सन्निहित रहना, ससमय विपत्र उपभोक्ताओं को पहुँचना एवं शत–प्रतिशत विपत्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बोर्ड द्वारा प्रमण्डलवार मासिक समीक्षा की जानी है।

1.11 GIS सर्वे के दौरान बिलिंग डाटा से छूटे हुए उपभोक्ताओं को GIS में समावेश करने की व्यवस्था को कारगर ढ़ंग से लागू किया जाना है।

1.12 दूसरे शहरों में भी स्पॉट बिलिंग मशीन (SBM) द्वारा विपत्रीकरण एवं मीटर पठन की व्यवस्था की जानी है।

2. <u>राजस्व संग्रहण प्रणाली</u>:

2.1 उपभोक्ताओं को सुविधाजनक ढ़ंग से विपत्र भुगतान करने के लिए वैसे बैंक से, जिनकी शाखाऐं पर्याप्त संख्या में हो, tie-up किया जाना है क्योंकि उपभोक्ताओं को सीमित संख्या में काउण्टर पर भुगतान करने में कठिनाईयाँ हैं।

2.2 ATM, Online payment, ATP मशीन इत्यादि एवं बैंक के साथ करार के अलावे अन्य एजेन्सी के माध्यम से भी विपत्र भुगतान की सुविधा मुहैया कराने के लिए व्यवस्था की जानी है ताकि उपभोक्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त विकल्प रहे।

2.3 सहज वसुधा केन्द्र द्वारा अभी 27 जिलो में ही बिजली विपत्र भुगतान की व्यवस्था की गयी है। अन्य 11 जिलो में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्रवाई की जानी है।

2.4 सहज वसुधा केन्द्र का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है ताकि महत्तम ग्रामीण उपभोक्ता इसका इस्तेमाल कर सके। इसके तहत आकाशवाणी

के लोकप्रिय कृषि–दर्शन प्रोग्राम आदि द्वारा प्रचार कराने की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

3 **उच्च विभव (HT) उपभोक्ताओं का विश्लेषण:**

3.1 हर श्रेणी के उच्च विभव (HT) उपभोक्ताओं के Contract Demand, Consumption, Load profile का मॉनिटरिंग हर महीने की जानी है।

3.2 HTSS उपभोक्ता, जो ज्यादा विद्युत खपत करते हैं, उनके consumption का माहवार बोर्ड स्तर पर समीक्षा की जानी है।

3.3 उच्च विभव (HT) उपभोक्ताओं का जो बिजली चोरी के मामले हैं उसे तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए विशेष निगरानी रखी जानी है।

3.4 बकाये की स्थिति में नियमानुसार विद्युत संबंध विच्छेद हेतु त्वरित प्रक्रिया की जानी है।

3.5 निगरानी विभाग द्वारा चोरी के मामले नहीं दर्ज किये जाने से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्च विभव (HT) उपभोक्ताओं के पहले के दर्ज चोरी के मामले का विवरण अद्यतन स्थिति के साथ प्रस्तुत किया जाना है।

4 **अन्य बिन्दु**

4.1 विभिन्न विभागों द्वारा विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु ₹454.03 करोड़ की अनुमानित राशि का प्रावधान तृतीय अनुपूरक बजट में किया जाना है। बोर्ड द्वारा संबंधित विभागों का सूचित किया जा चुका है।

.4.2 लघु सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा केन्द्रीकृत भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त सत्यापन के बावजूद भुगतान में हो रहे अत्यधिक विलंब एवं अनुचित कटौती के बारे में बोर्ड द्वारा बताया गया। प्रधान सचिव (वित्त) द्वारा इन विभागों को केन्द्रीकृत भुगतान सहज बनाने के लिए संबंधित विभागों की बैठक बुलाकर आवश्यक निर्देश देने की दिशा में कार्रवाई की जानी है।

4.3 शहरी विकास विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों से विद्युत विपत्र का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है और बड़ी राशि का बकाया हो गया है। शहरी निकायों द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग के आवंटन संबंधी ज्ञाप संख्या 13 दिनांक 4.08.2011 एवं ज्ञाप संख्या 21

113

दिनांक 04.08.2011 के आलोक में होल्डिंग टैक्स के बकाये के भुगतान से विद्युत विपत्र के भुगतान को link करने के कारण हो रही दिक्कत के बारे में विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया। इस मामले में प्रधान सचिव (वित्त) अपने स्तर पर संबंधित विभागों को बुलाकर बकाये राशि के भुगतान हेतु आवश्यक निदेश देने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य-कलापों की समीक्षात्मक बैठक ।

12

दिनांक : 01/02/2012

उपस्थिति :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री नवीन कुमार	मुख्य सचिव	
2	श्री ए0 के0 सिन्हा	विकास आयुक्त	
3	श्री सी0 अशोक वर्द्धन	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	अशो 1/2/12
4	श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	1/2
5	श्री अजय नायक	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग	[illegible]
6	श्री पी0 के0 राय	अध्यक्ष, बिहार रा0 वि0 बोर्ड	[illegible]
7	डा0 राणा अवधेश	सदस्य (प्रशासन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	01.02.2012
8	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
9	श्री ललन प्रसाद	सदस्य (उत्पादन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	[illegible]
10	श्री टुन टुन झा	सदस्य (संचरण), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	[illegible]
11	हुकुम सिंह मीणा	निदेशक [illegible] एवं पारेषण	[illegible]
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 753 पटना, दिनांक 22/2/12

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/12

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 753 पटना, दिनांक 22/2/12

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/12

O/C

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
22/2/12

JNP V
JNP V

24-11-11-Memo only
24-11-11-Memo only